



भारत में किसान राजनीति और चौधरी चरण सिंह : एक लेख

डॉ. मनोज कुमार

राजनीतिशास्त्र विभाग, नारायण पी. जी. कॉलेज, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) उ० प्र०

Paper Received On: 25 Nov 2023

Peer Reviewed On: 28 Dec 2023

Published On: 01 Jan 2024

Abstract

भारत में आजादी के बाद हर वर्ग के अपने संगठन थे परन्तु कृषकों का जो आजाद भारत की सबसे बड़ी ताकत थे, का कोई संगठन नहीं था अर्थात् उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था अर्थात् कृषकों में राजनीतिक चेतना नहीं थी। परन्तु चौधरी चरण सिंह ने कृषकों में राजनीतिक चेतना जागृत करके उन्हें स्वतंत्र वर्ग के रूप में संगठित होने की प्रेरणा दी। यह एक ऐसा कार्य था जिसे समाजवाद एवं वामपंथ का दंभ भरने वाले बहुत से नेता भी न कर पाये। चौधरी चरण सिंह को इसलिए याद नहीं किया जायेगा कि वे उ० प्र० के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री रहे बल्कि इसलिए याद किया जायेगा कि उन्होंने कृषकों को एक ऐसी आवाज एवं दिशा दी जो समाज का एक शोषित वर्ग था तथा उसका कोई संगठन भी नहीं था।

Keywords: ग्राम स्वराज्य, अछूतोद्धार, कृषक समस्या, किसान मसीहा।

शोध प्रविधि : अनुसंधित्यु ने प्रस्तुत शोध कार्य के लिए “ऐतिहासिक शोध अभिकल्प” (Historical Research Design) को चुना है। द्वितीयक तथ्यों का संकलन विभिन्न सार्थक स्रोतों किया गया है।

विश्लेषण एवं विवेचना : चौधरी चरण सिंह जिनका जन्म एक कृषक के घर में 23 दिसम्बर, 1902 को गाजियाबाद जिले की हापुड़ तहसील के बाबूगढ़ छावनी के पास नूरपुर नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम चौधरी मीर सिंह एवं मां का नाम नेत्रकौर था। स्थानीय स्तर पर प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने मैट्रिक एवं इण्टर मेरठ से किया तथा स्नातक एवं स्नातकोत्तर आगरा कॉलेज आगरा से करने के बाद मेरठ आ गये, मेरठ कॉलेज मेरठ से उन्होंने वकालत की परीक्षा पास की तथा मेरठ वकालत करने लगे लेकिन कुछ समय बाद वे गाजियाबाद चले गये क्योंकि मेरठ की षहरी पृष्ठभूमि के बदले वे गाजियाबाद की ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्रतिष्ठा हासिल न कर सके क्योंकि एक तो वे सामाजिक कार्यों में अधिक व्यस्त रहते थे दूसरे उन्हें झूठे मुकदमों से सख्त नफरत थी। कृषकों के प्रति लगाव के कारण ही वे आगे चलकर किसानों के सच्चे हितैषी बने तथा उन्होंने कृषकों की समस्या को अपनी समस्या समझकर उनका सही समाधान खोजने के प्रयास किये।

चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी एवं उनकी ग्राम स्वराज्य की अवधारणा से बहुत प्रभावित थे तथा पूरी तरह से सहमत थे। वे मानते थे कि असली भारत गांवों में ही बसता है इसीलिए उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा प्रणीत सत्य, अहिंसा, राष्ट्र के प्रति समर्पण, बलिदान, अछूतोद्धार, मद्यनिषेध, यम-नियम, सादगी, खादी व देशी वस्तुओं का प्रयोग जैसे गुण जो उनकी जीवन चर्चा तथा विचारों से मेल खाते थे को पूर्णरूपेण अपने जीवन में उतार लिया था।

1937 में वे पहली बार धारा सभा (विधान सभा) के लिए चुने गये परन्तु अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ देश भर के कांग्रेस मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया। 1938 में उन्होंने कृषकों से मंडियों में होने वाली अवैध वसूलियों पर दो लेख लिखे “कल्टीवेटर लूजेज 15 परसेन्ट थू लेवीज” एवं “प्रोपोज्ड लेजिस्लेसन फार रेगुलेशन” इन लेखों के द्वारा उन्होंने किसानों से की जा रही इस लूट पर तुरन्त रोक लगाने पर बल दिया।

1938 में जब वे पुनः धारा सभा के लिए चुने गये तो उन्होंने एक प्रस्ताव यह रखा कि 50 प्रतिशत उच्च प्रशासनिक पद कृषक सन्तानों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए तथा इस विषय की महत्ता को समझाते हुए एक विस्तृत लेख भी लिखा परन्तु उस समय की शोषक व्यवस्था ने इस प्रस्ताव पर कोई ध्यान नहीं दिया। 1939 में उन्होंने “लैण्ड यूटिलाइजेशन” शीर्षक से एक मसौदा तैयार किया इस बिल में यह प्रावधान था कि लगान का दस गुना जमा कर देने पर ज़मीन का स्वामित्व जोतदार के दे दिया जायेगा। यह बिल धारा सभा में तो पास नहीं हो सका परन्तु कृषकों ने यह महसूस किया कि उनके बारे में धारा सभा में सोचने वाला कोई व्यक्ति अवश्य बैठा है। 1946 में जब वे विधान सभा चुनावों में फिर से विजयी हुए तो मुख्यमंत्री पंत ने उन्हें संसदीय सचिव बनाकर विभिन्न विभागों में रखा। इस दौरान उन्होंने प्रान्तीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी अतः उनकी योग्यता, परिश्रमी प्रकृति, ईमानदार आचरण एवं लोक निष्ठा को देखकर 1950-51 में उन्हें जमींदारी उन्मूलन का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा। 1952 में उन्होंने जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक पारित कराया, जिससे उन सभी बास्तकारों को उन जोतों का सीरदार बना दिया गया जिन पर वे हल चला रहे थे। इस विधेयक के पारित होते ही जमींदार बेबस हो गये अतः उन्हें स्वयं द्वारा समर्थित पटवारियों को हड़ताल के लिए उकसाया उन्होंने इन पटवारियों से इस्तीफा लेकर लेखपालों की भर्ती कर दी।

1953 में उन्होंने चकबन्दी कानून बनाकर पारित कराया, 1954 में जब यह कानून लागू हुआ तो इसके फायदे सामने आने लगे क्योंकि कृषकों के बिखरे हुए खेत एक जगह हो गये, जिससे उनके श्रम एवं लागत की बचत हुई। पंत जी के बाद जब डॉ० सम्पूर्णानन्द मुख्यमंत्री बने तो उन्होने उनसे कृषक मंत्रालय छीन लिया तो वे कृषक हितैषी कार्य ठीक से करने में असमर्थ हो गये परन्तु जब उनके मंत्रालय बार-2 बदले गये तो उन्होने मंत्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया।

1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में उन्होने पं० नेहरू के सहकारी खेती के प्रस्ताव का विरोध किया क्योंकि वह जानते थे कि कृषक का अपनी जमीन से आत्मिक

एवं भावनात्मक लगाव होता है, अतः यहां उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि कृषक के क्षेत्र में उनकी एक अलग सोच है तथा नेहरू जी का विरोध करने की क्षमता भी। 1960 में चन्द्रभानु गुप्त के मंत्रिमण्डल में वे कृषि एवं गृहमंत्री बने परन्तु उन्हें गृहमंत्री पद से इसलिए हटा दिया क्योंकि उन्होंने जमींदारी उन्मूलन में की गई व्यवस्था से अलग चन्द्रभानु गुप्त के लगान वृद्धि के फैसले का विरोध किया था। परन्तु अपने गृहमंत्री काल में उन्होंने जनता एवं पुलिस दोनों का आत्मविश्वास से भर दिया था कि उनके हितों की रक्षा की जायेगी तथा उनमें से किसी पर भी अन्याय नहीं होने दिया जायेगा।

1971 के चुनावों में चौ० साहब ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया तथा वे मुजफ्फरनगर से चुनाव हार गये परन्तु यह उनके जीवन की पहली और अंतिम हार थी क्योंकि वे इससे पहले न तो कोई चुनाव हारे थे और न ही इसके बार हारे। 1974 में कांग्रेस एवं इंदिरा जी के कुशासन एवं राजनीति में संजय गांधी के हस्तक्षेप के कारण जब विरोधी दलों ने एकजुट होने की ठानी तथा बिहार में जे० पी० एवं गुजरात में मोरार जी देसाई के नेतृत्व में छात्र आन्दोलन मुखर होने लगे तो चौधरी चरण सिंह जे० पी० देसाई, प्रकाश सिंह बादल एवं नानाजी देशमुख इत्यादि के नेतृत्व में दिल्ली में एक जुलूस निकाला गया तथा नारा दिया “सिंहासन खाली करो जनता आती है” इसी बीच राजनारायण की याचिका पर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने इंदिरा जी पर छः वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इंदिरा जी ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी तथा सभी प्रमुख नेताओं को अकारण जेल में डाल दिया। सभी मौलिक अधिकारों एवं समाचार पत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया। इंदिरा जी ने जनवरी 1977 में लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दी क्योंकि इंदिरा जी को इस बात का कतई आभास नहीं था कि विपक्षी दल एकजुट हो पायेंगे परन्तु ऐसा हुआ नहीं तथा जनता पार्टी अस्तित्व में आई।

उनका चिन्तन ग्रामीण अंचल तथा कृषक वर्ग की समस्याओं और समाधान के इर्द-गिर्द ही घूमता दिखाई देता है। उन्होंने देश के आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीकरण के स्थान पर विकेन्द्रीकरण शहर के स्थान पर गांव, बड़े उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योग एवं कृषि के विकास पर बल दिया। वे कहते थे कि जब तक कृषक की क्रय शक्ति नहीं बढ़ेगी तब तक कोई भी विकास अधूरा है। उनके विचार में “गरीबी से बचकर समृद्धि की ओर जाने का एकमात्र रास्ता गांवों एवं खेतों से होकर ही गुजर सकता है।” कुछ लोग उन्हें आधुनिक तकनीक का विरोधी मानते हैं परन्तु ऐसा नहीं था वे ऐसी तकनीक के पक्षधर थे जिससे मानव श्रम प्रभावित न हो। वे साम्यवाद एवं समाजवाद की भी आलोचना करते हैं क्योंकि वे षोषित एवं दलितवर्ग के प्रति संवेदनशील थे तथा पूंजीवाद का आलोचक भी थे अतः उन्हें न तो वाम पंथी कहा जा सकता है और न दक्षिण पंथी। वे स्वयं को गांधी द्वारा प्रस्थापित समाजवादी का हिमायती मानते थे। भारत में लोकतन्त्र की सफलता के लिए वे द्विदलीय व्यवस्था के समर्थक थे। उनके समस्त चिन्तन का आधार यद्यपि गांधीवाद है परन्तु वे लोकतन्त्र में विरोध के साधनों प्रदर्शन, आन्दोलन, हड़ताल इत्यादि का विरोध करते हैं। उनका कहना था कि अब भारत में लोकतंत्र है तथा

जनता कभी भी वोट द्वारा सरकार को बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने कृषक वर्ग को राजनीतिक रूप से जागृत किया ताकि उन्हें अपने वोट का महत्व पता चल सके।

निष्कर्ष:

इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि चौधरी चरण सिंह की डगर प्रारम्भ से अन्त तक कांटों से भरी रही, परन्तु उन्हें कठिनाइयों से जूझना आता था। इसीलिए वे 1937 से 1974 तक एक भी विधानसभा चुनाव नहीं हारे। विधानसभा हो अथवा लोकसभा अपने सिद्धान्तों, जन सामान्य हितैषी नीतियों, कृषि एवं कृषि आधारित संकल्पनाओं, शासन अनुशासन तथा निष्ठा के लिए सदैव सुखियों में रहे। उन्होंने प्रारम्भ से लेकर अन्त तक गरीब कृषकों के दर्द को जिया तथा उनके लिए 30 प्र0 एवं राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कानून बनवाये जिन्होंने कृषकों के जीवन को ही बदलकर रख दिया। उन्होंने असंगठित कृषक समाज को संगठित कर ऐसी दिशा दी जिनका कोई संगठन नहीं था। कृषि से सम्बंधित बहुत से आंकड़ों का प्रयोग वे अपने भाषणों तथा लेखन में करते थे। इस प्रकार चौधरी चरण सिंह ने गरीबों, पिछड़ों एवं कृषकों के लिए जो कुछ किया वह तो एक अलग बात है परन्तु इन वर्गों की सामाजिक आर्थिक समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण अद्वितीय था। कृषकों में राजनीतिक चेतना पैदा करने का जो कार्य उन्होंने किया उसकी भी मिसाल नहीं मिलती। कृषकों में राजनीतिक जागरूकता लाने का कार्य तो उन्होंने किया ही साथ ही उन्होंने कृषकों की क्षेत्रीय समस्याओं को राष्ट्रीय समस्याओं से भी जोड़ा।

इस प्रकार 'किसान मसीहा' चौधरी चरण सिंह अपने अंत समय तक अपनी पार्टी लोकदल का नेतृत्व करते हुए 29 मई, 1987 को इस दुनिया से विदा हो गये परन्तु अपना एक चिन्तन एवं विचारधारा छोड़ गये कि भारतीय राजनीति का एक अंग कृषक समाज भी है। वे केवल उत्तर भारत में ही नहीं वरन् समूचे भारत में अपनी पहचान बनाने में सफल रहे। उनके द्वारा तैयार की गई राजनीतिक पृष्ठभूमि का अनुसरण उनकी मृत्यु के बाद बहुत से नेताओं ने किया जिनमें चौ0 देवी लाल, चौधरी कुम्भा राम आर्य, धनिकलाल मण्डल, कर्पूरी ठाकुर, रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव, दौलत राम सरन, ज्ञान प्रकाश पिलानिया, चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत, नाथूराम मिर्धा इत्यादि के नाम प्रमुख हैं।

संदर्भ

- वर्मा देवेन्द्र - (2010) : "चौधरी चरण सिंह और किसान राजनीति" एक्सिस प्रकाशन नई दिल्ली, पृ0 - 127
- टिकैत सुरेन्द्र - (2012) : "कृषक मसीहा चौधरी चरण सिंह" राधा प्रकाशन, आगरा, पृ0-79
- कुमार पंकज (2018), " चौधरी चरण सिंह - ए ग्रेट पालिटिशियन" राजनीतिक पथ, अंक जनवरी मार्च 2018।
- उमाशंकर (2013), "किसान राजनीति के जनक चौधरी चरण सिंह" शोध अनुसंधान समाचार अंक दिसंबर, 2013।
- रावैर जी. पी. (2010), भारतीय राजनीति में चौधरी चरण सिंह का योगदान" राजनैतिक सहयोग" प्रथम संस्करण 173-198।